Hidayatullah National Law University

Atal Nagar, District-Raipur 492002 (C.G.)
Phone No. 0771-3057604, 3057603
Email: registrar@hnlu.ac.in, Website: www.hnlu.ac.in

क्रमांक / 2012S /हि.रा.वि.वि. / स्था. / 2018 दिनांक 10 / 10 / 2018

:: सूचना ::

छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के पत्र क्रमांक 9339 / स्था. / छ.ग. / 2018, रायपुर, दिनांक 24.09.2018 एवं छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1–131 / 2008 / 32, दिनांक 28.08.2018 के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय के समस्त शाखाओं को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना के अनुसार "नया रायपुर" के स्थान पर अब "अटल नगर, जिला–रायपुर" के नाम से समस्त पत्राचार करना सुनिश्चित करें। (अनुमोदित प्रारूप संलग्न)

आदेशानुसार,

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कुल सचिव (प्रभारी)
Registrar (I/c)
Hidayatullah National Law University
Naya Raipur (C.G.)

पृ.क्रमांक / 2012S /हि.रा.वि.वि. / स्था. / 2018 दिनांक 10 / 10 / 2018

प्रतिलिपिः

1. माननीय कुलपति महोदय के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. समस्त शाखा, एच.एन.एल.यू.,
3. आई.टी शाखा, एच.एन.एल.यू.– वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
4. समस्त नोटिस बोर्ड
5. नस्ती

कुल सचिव (प्रभारी)
Registrar (I/c)
Hidayatullah National Law University
Naya Raipur (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर, (छ.ग.) 492002

I-Estab 1.10.18 Do the needful
42032/R 01/10/2018

क्रमांक 9339/स्था./छ.ग./2018 रायपुर,दि. ..../09/2018

प्रति,

1. रजिस्ट्रार जनरल,
छ.ग. उच्च न्यायालय,
उच्च न्यायालय भवन बोदरी
बिलासपुर छ.ग.

2. महाधिवक्ता,
छ.ग. उच्च न्यायालय परिसर,
बोदरी, बिलासपुर (छ.ग.)

3. सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
विधिक सेवा मार्ग,
बिलासपुर (छ.ग.)

4. रजिस्ट्रार,
छ.ग. माध्यस्थम अधिकरण,
घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.)

5. रजिस्ट्रार,
हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
ग्राम उपरवारा, तहसील- अभनपुर
जिला–रायपुर (छ.ग.)

6. सचिव
छ.ग.राज्य विधि आयोग,
शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.)

विषय :– नया रायपुर का नाम अटल नगर करने के संबंध में ।

संदर्भः– छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 1–131/2008/32, दिनांक 29.08.2018

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण, विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 1–131/2008/32, दिनांक 29.08.2018 के साथ संलग्न अधिसूचना की छायाप्रति आपकी ओर संलग्न संप्रेषित है ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(उमेश कुमार काटिया)
अतिरिक्त सचिव
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय,

D/Prabha Khare/Letter 2017-18

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर,
जिला रायपुर
-----0000-----

क्रमांक एफ 1-131/2008/32 अटल नगर रायपुर, दिनांक 29.08.2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,

विषयः नया रायपुर का नाम अटल नगर करने के संबंध में।

विषयांतर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.08.2018 की छायाप्रति संलग्न है।

2/ आदेशानुसार कृपया उक्त अधिसूचना के अनुसार "नया रायपुर" के स्थान पर अब "अटल नगर, जिला रायपुर" के नाम से समस्त पत्राचार करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न : यथोपरि।

(जी.एल. साकले)
अवर सचिव

पृ.क्रमांक एफ 1-131/2008/32 अटल नगर रायपुर, दिनांक 29.08.2018

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
2. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, अटल नगर, जिला रायपुर,
4. समस्त माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिव के विशेष सहायक/निज सहायक, मंत्रालय, अटल नगर, जिला रायपुर,
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, अटल नगर, जिला रायपुर,
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर,
8. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 28/08/2018

क्रमांक एफ 1–131/2008/32 :: छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा धारा 65 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1385/1274/32/2002 दिनांक 07 जुलाई, 2006 मे निम्नांकित संशोधन करता है :–

1 उक्त अधिसूचना के द्वारा गठित विशेष क्षेत्र को "नया रायपुर" के स्थान पर "अटल नगर" के नाम से जाना जायेगा।

2 उक्त विशेष क्षेत्र हेतु गठित "नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी" को अधिनियम की धारा 65 (1) के अंतर्गत "अटल नगर विकास प्राधिकरण," अटल नगर, जिला रायपुर के नाम से जाना जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रेजीना टोप्पो)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
अवास एवं पर्यावरण विभाग

D:\...\Department 2018\Adhisuchna.doc 123